



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डब्ल्यू.बी.-अ.-10072025-264515  
CG-WB-E-10072025-264515

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3002]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 10, 2025/आषाढ़ 19, 1947

No. 3002]

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 10, 2025/ASHADHA 19, 1947

रेल मंत्रालय

[पूर्व रेलवे (निर्माण विभाग)]

अधिसूचना

कोलकाता, 7 जुलाई, 2025

**का.आ. 3069(अ).—** रेलवे (अमेण्डमेंट) अधिनियम, 2008 की धारा 2 के खण्ड 3(7ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार एतद् रूप से नीचे तालिका के कॉलम (2) में वर्णित अधिकारी को प्राधिकृत करती है कि वह तालिका के कॉलम - (4) में वर्णित रेलवे परियोजना के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के रूप में कार्य - निष्पादित करें तथा उपर्युक्त तालिका के ही कॉलम (3)-में वर्णित राज्य में कार्य - निष्पादन अनुपालन, प्रबंधन एवं परिचालन के लिए भी वह कार्य करें तथा यह राजकीय राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रभावी माना जाएगा।

तालिका

क्रमांक	सक्षम प्राधिकारी	राज्य	रेलवे परियोजना का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	जिला भू-अर्जन पदाधिकारी पाकुड़	झारखंड	झारखंड केपाकुड़ जिले में भूमि अधिग्रहण के लिए, विशेष रेलवे परियोजना के रूप में “मुराईबरहरवा तीसरी लाइन -”।

[फा. सं. मु.प्र.अ./नि./भू./ 320]

पी. के. शर्मा, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण

**MINISTRY OF RAILWAYS****[Eastern Railway (Construction Department)]****NOTIFICATION**

Kolkata, the 7th July, 2025

**S.O. 3069(E).**— In exercise of the powers conferred by clause (7A) of Section 2 of the Railways (Amendment) Act, 2008 the Central Government hereby authorizes the officer mentioned in column (2) of the Table below to perform the functions of the **Competent Authority** in respect of the Railway Project as mentioned in column (4) of the Table, for execution, maintenance, management and operation in the state mentioned in column (3) of the said Table, with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

**TABLE**

Serial Number	Competent Authority	State	Name of Railway Project.
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	District Land Acquisition Officer Pakur	Jharkhand	<b>“Murarai- Barharwa 3<sup>rd</sup> Line” as Special Railway Project</b> for acquisition of land in the District of Pakur of Jharkhand.

[F. No. CAO/Con/L/320]

P. K. SHARMA, Chief Administrative Officer/Con